

[2023] 4 एस. सी. आर 96

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 4 एस सी आर।

ए.

दिगंबर

वी.

महाराष्ट्र राज्य (2022 की आपराधिक अपील संख्या 221-222) अप्रैल 28, 2023

बी.

[बी. आर. गवई, विक्रम नाथ और संजय करोल, जे. जे.]

आपराधिक कानून-‘दुर्लभतम’ मामला-जब नहीं-एक ‘पी’ विवाहित था लेकिन ‘जी’ के साथ उसका प्रेम संबंध था-इसका विरोध उसके भाई-‘डी’ ने किया, जिसने सह-आरोपी-‘एम’ के साथ मिलकर ‘पी’ और ‘जी’ की हत्या की-निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने मामले को ‘दुर्लभतम से दुर्लभतम’ बताते हुए, क्रमशः ‘डी’ और ‘एम’ को मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के समवर्ती निष्कर्षों के साथ कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है कि अभियुक्त अपीलार्थी दंडनीय अपराध के दोषी हैं।³⁰², आई. पी. सी.-हालाँकि, वर्तमान मामले को ‘दुर्लभतम से दुर्लभतम’ नहीं माना जा सकता है-दोनों अपीलार्थियों की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है-चिकित्सा साक्ष्य से आगे पता चलता है कि अपीलार्थियों ने क्रूर तरीके से कार्य नहीं किया, क्योंकि दोनों मृतक को केवल एक ही चोट लगी थी-अपीलार्थी-‘डी’ जिसे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है, घटना के समय लगभग 25 वर्ष का एक छोटा लड़का था-परिवीक्षा अधिकारी के साथ-साथ जेल अधीक्षक की रिपोर्ट से पता चलता है कि वह अच्छा व्यवहार करने वाला, सहायक और नेतृत्व गुणों वाला व्यक्ति पाया गया है-वह आपराधिक मानसिकता और आपराधिक रिकॉर्ड वाला व्यक्ति नहीं है-निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने मामले को दुर्लभ मानने में गलती की।³⁰², आई. पी. सी. बना रहता है, मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया जाता है-हालाँकि, ‘एम’ को दिए गए आजीवन कारावास में हस्तक्षेप नहीं किया जाता है-साक्ष्य अधिनियम, 1872-एस. एस. 106, 8 – दंड संहिता, 1860 –s.302 r/ws।³⁴.

सी.

डी.

ई.

एफ.

आपराधिक कानून-दुर्लभतम सिद्धांत-मृत्युदंड का अधिरोपण-आयोजित: ‘दुर्लभतम सिद्धांत’ में यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे मामले में केवल मौत की सजा दी जाए-इस बात पर विचार करते हुए कि मौत की सजा दी जानी है या नहीं, न्यायालय को न केवल अपराध की गंभीर प्रकृति पर विचार करना होगा, बल्कि यह भी विचार करना होगा कि क्या किसी अपराधी के सुधार की संभावना थी।

जी.

एच.

दिगंबर बनाम महाराष्ट्र राज्य ए

ए.

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कृष्णा मास्टर और अन्य

(2010) 12 एससीसी 324:[2010] 9 एससीआर 563; गांडी

डोड्डाबासप्पा उर्फ गांधी बासवराज बनाम राज्य

कर्नाटक (2017) 5 एस. सी. सी. 415:[2017] 2 एससीआर 62;

प्रकाश धवल खैरनार (पाटिल) बनाम राज्य

महाराष्ट्र (2002) 2 एससीसी 35:[2001] 5 पूरक।एससीआर

बी.

612; मोहिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (2013) 3 एस. सी. सी.[2013] 3 एससीआर 90; सुंदर @ सुंदरराजन बनाम राज्य

2011 के पुलिस आपराधिक अपील सं. 300-301 के निरीक्षक द्वारा-पर भरोसा किया गया।

मामला कानून संदर्भ

सी.

[2010] 9 एससीआर 563

उस पर भरोसा करें

पैरा 21

[2017] 2 एससीआर 62

उस पर भरोसा करें

पैरा 22

[2001] 5 पूरक।एस. सी. आर. 612 पर निर्भर

पैरा 24

[2013] 3 एससीआर 90

उस पर भरोसा करें

पैरा 25

डी.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2022 की आपराधिक अपील संख्या 221-222।

2019 के सी. सी. सं. 1 और 2019 के सी. आर. एल. ए. सं. 810 में औरंगाबाद में बंबई उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

ई.

के साथ

2023 की आपराधिक अपील संख्या 280।

सुबोध एस. पाटिल, सुधांशु एस. चौधरी, महेश पी. शिंदे, सुश्री रुचा ए. पांडे, एम. वीरारागवन, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

एफ.

चिनमॉय खलडकर, सिद्धार्थ धर्माधिकारी, आदित्य अनिरुद्ध पांडे, भरत बागला, सौरव सिंह, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी. आर. गवई, जे.

जी.

1. वर्तमान आपराधिक अपीलें बॉम्बे उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ द्वारा 2019 के पुष्टिकरण मामले संख्या 1 और 2019 की आपराधिक अपील संख्या 808 और 810 में पारित 13 दिसंबर 2021 के सामान्य निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती हैं, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने इन लोगों पर लगाए गए मृत्युदंड और आजीवन कारावास की पुष्टि की है।

एच.

98

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 4 एस सी आर।

अभियुक्त सं. 1-दिगंबर (आपराधिक अपील सं. 221-222 2022 में अपीलार्थी) और अभियुक्त सं. 2-मोहन (आपराधिक अपील सं. 280/2023 में अपीलार्थी) क्रमशः भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद आई. पी. सी. के रूप में संदर्भित) की धारा 34 आई. पी. सी. के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के लिए।

2. ये आपराधिक अपीलें निम्नलिखित रूप में संकलित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य से उत्पन्न होती हैं:

बी.

2.1. पूजा (मृत) की शादी 10 जून 2017 को जेठीबा हसन्ना वर्येवर से हुई थी। पूजा का पिछले 5 वर्षों से एक गोविंद (मृत) के साथ प्रेम संबंध था। अपीलार्थी/अभियुक्त-दिगंबर पूजा का भाई है। 2.2. 22 जुलाई 2017 को पूजा ने किसी को बताए बिना अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया। इस प्रकार, उसके पति ने उसी दिन भोकर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

सी.

2.3. आरोपी दिगंबर, जिसे पूजा और गोविंद के प्रेम संबंध की जानकारी थी, को संदेह था कि पूजा गोविंद के साथ गई होगी। इस प्रकार, 22 जुलाई 2017 को ही उसने अपने मोबाइल पर गोविंद को फोन किया, जिसके बाद गोविंद ने उसे सूचित किया कि पूजा उसके साथ नहीं है और वह जो चाहे कर सकता है। अभियुक्त दिगंबर ने पूजा को कई स्थानों पर खोजा लेकिन वह नहीं

मिली। तलाशी के दौरान, उसने गोविंद को दो या तीन बार फोन किया और हर बार गोविंद ने उसे सूचित किया कि पूजा उसके साथ नहीं है। अभियुक्त दिगंबर ने रात में गोविंद को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद हो गया और दिगंबर ने इसे एक संकेत के रूप में लिया कि पूजा उसके साथ थी।

डी.

ई.

एफ.

2.4. अगले दिन, यानी 23 जुलाई 2017 को, आरोपी दिगंबर सह-आरोपी मोहन के साथ गोविंद की बहन के घर गया। उक्त घर में उन्हें गोविंद के साथ-साथ पूजा भी मिली। अभियुक्त दिगंबर ने पूजा को आश्वासन दिया कि वह उसकी शादी गोविंद से कराएगा क्योंकि वे दोनों पिछले 5 वर्षों से प्यार में हैं। पूजा दिगंबर के आश्वासन से आश्चस्त थी लेकिन उसने गोविंद के बिना जाने से इनकार कर दिया। इस प्रकार, आरोपी दिगंबर और मोहन पूजा और गोविंद के साथ मोटरसाइकिल पर उस जगह से चले गए।

जी.

2.5. बेलतरोदा गाँव के पास, आरोपी दिगंबर ने पूजा और गोविंद को कुछ समय इंतजार करने के लिए कहा। अभियुक्त दिगंबर ए

एच.

99

दिगंबर बनाम महाराष्ट्र राज्य [बी. आर. गवई, जे.] ए.

उसकी चाची के घर गया और वहाँ से एक दरांती उठाई और उसे उसकी कमर के पास छिपा दिया। उस स्थान पर वापस आने के बाद जहाँ पूजा और गोविंद उसका इंतजार कर रहे थे, आरोपी दोनों को अपने साथ अपने गांव ले गया। रास्ते में, उसने अपनी मोटरसाइकिल को एक नहर के पास रोका और उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं थे। उस समय आरोपी दिगंबर ने दरांती निकाली और गोविंद के गले पर हमला किया। जब पूजा ने उसे पकड़ने की कोशिश की, तो उसने दरांती का हैंडल हटा दिया और दरांती का पिछला हिस्सा पूजा की गर्दन में डाल दिया। अभियुक्त दिगंबर के इन हमलों के परिणामस्वरूप दोनों की मौत हो गई।

बी.

सी.

2.6. इसके बाद आरोपी भोकर पुलिस थाने पहुंचा और खुद प्राथमिकी संख्या 404/2007 दर्ज कराई कि उसने उपरोक्त अपराध किया है।

2.7. जाँच के अनुसार, भोकर, नांदेड़ में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया और मुकदमा चलाया गया। निचली अदालत ने 17 जुलाई 2019 के अपने फैसले में आरोपी दिगंबर को आई. पी. सी. की धारा 302/201/120-बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया और उसे मौत की सजा सुनाई, जबकि आरोपी मोहन को आई. पी. सी. की धारा 302/201/34 120-बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

डी.

ई.

2.8. अभियुक्त दिगंबर ने आपराधिक अपील सं. 810/2019 दायर की थी और अभियुक्त मोहन ने उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील सं. 808/2019 दायर की थी। अभियुक्त दिगंबर को दी गई मौत की सजा की पुष्टि के लिए पुष्टि मामला संख्या 1/2019 भी दर्ज किया गया था।

एफ.

2.9. विवादित फैसले के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने आरोपी दिगंबर को दी गई मौत की सजा की पुष्टि की और आपराधिक अपीलों को खारिज कर दिया।

जी.

3. हमने अपीलार्थियों की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री सुधांशु एस. चौधरी और श्री सुबोध एस. पाटिल और राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री चिनमॉय खलडकर को सुना है। 4. श्री चौधरी प्रस्तुत करते हैं कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों ने अपीलार्थी को दोषी ठहराने में घोर गलती की है। वह प्रस्तुत करता है कि अपीलार्थी दिगंबर द्वारा पुलिस को दिया गया इक्बालिया बयान

एच.

100

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 4 एस सी आर।

दोषसिद्धि को आराम देने के लिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। वह प्रस्तुत करता है कि अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति के अलावा, अपीलार्थियों को दोषी ठहराने के लिए बिल्कुल कोई सबूत नहीं है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि यह असंभव है कि दोनों अपीलार्थी और दोनों मृतक एक मोटर-साइकिल पर यात्रा कर रहे थे। विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि केवल अंतिम बार एक साथ देखे गए साक्ष्य के आधार पर, बिना किसी पुष्टि के, निचली अदालत द्वारा दोषसिद्धि दर्ज नहीं की जा सकती थी।

बी.

5. श्री सुबोध पाटिल यह भी प्रस्तुत करते हैं कि अपीलकर्ताओं को अंतिम बार मृतक के साथ देखे जाने और मृत पाए जाने वाले मृतक के बीच का अंतर अपीलकर्ताओं को संदेह का लाभ देने के लिए काफी लंबा है।

सी.

6. श्री चौधरी प्रस्तुत करते हैं कि, किसी भी मामले में, वर्तमान मामला अपीलार्थी-दिगंबर को मौत की सजा देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। वे प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान मामले को 'दुर्लभतम से दुर्लभतम' मामला नहीं माना जा सकता है ताकि मृत्युदंड दिया जा सके।

डी.

7. इसके विपरीत, श्री चिनमॉय खलादकर प्रस्तुत करते हैं कि निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने सही पाया है कि अपीलकर्ताओं ने भयानक हत्या की थी और उन्हें मृत्युदंड दिया गया था। वह प्रस्तुत करता है कि वर्तमान मामला और कुछ नहीं बल्कि ऑनर किलिंग का मामला है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि आरोपी मृतक पूजा के मृतक गोविंद के साथ संबंध होने का विरोध कर रहे थे, इसलिए अभियुक्तों ने मृतक पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी। विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि अपराध और आपराधिक परीक्षण दोनों को लागू करने से मृत्युदंड में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। वह प्रस्तुत करता है कि

अपीलार्थी-दिगंबर एक अनपढ़ व्यक्ति नहीं है। वह एक शिक्षित व्यक्ति है और स्मार्टफोन का भी उपयोग कर रहा था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह के जघन्य अपराध करने वाले एक शिक्षित व्यक्ति के आचरण को माफ नहीं किया जा सकता है। इसलिए, वह अपील को खारिज करने के लिए प्रार्थना करता है।

ई.

एफ.

8. विद्वान वकील की सहायता से, हमने अभिलेख पर भौतिक साक्ष्य की जांच की है।

जी.

9. अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से उन परिस्थितियों पर निर्भर करता है जिनमें आरोपी को अंततः मृतक के साथ देखा जाता है और उसके तुरंत बाद मृतक की मृत्यु हो जाती है।

10. जहाँ तक अंतिम देखे गए सिद्धांत का संबंध है, अभियोजन पक्ष मुख्य रूप से P.W.5-Shankar और P.W.6-Santosh के साक्ष्य पर निर्भर करता है।

एच.

101

दिगंबर बनाम महाराष्ट्र राज्य [बी. आर. गवई, जे.] ए.

ए.

11. P.W.5-Shankar मृतक गोविंद का बहनोई है। उन्होंने अपने साक्ष्य में कहा कि 22 जुलाई 2017 को लगभग 6 बजे गोविंद ने उन्हें बताया कि पूजा ने उन्हें मोबाइल फोन पर फोन किया था। पूजा ने गोविंद को बताया कि वह अपने घर से नांदेड़ भाग गई और उसने नांदेड़ में गोविंद को बुलाया। उन्होंने बताया कि शाम करीब 6 बजे पूजा उनके घर आई। इसके बाद, अपनी भतीजी पूनम के सेल फोन पर, उसने अपने बहनोई संतोष (पी. डब्ल्यू. 6) से संपर्क किया और उसे बताया कि पूजा उसके घर आई है। उसने कहा कि उसने पूजा को समझाने की कोशिश की कि उसका आचरण उचित नहीं था और वह उसके पिता को मोबाइल पर कॉल करेगा। हालाँकि, पूजा ने उससे कहा कि उसे किसी को नहीं बताना चाहिए क्योंकि वह गोविंद को नहीं छोड़ेगी क्योंकि वह पिछले 5 वर्षों से गोविंद से प्यार करती थी।

बी.

सी.

12. P.W.5-Shankar ने अपने साक्ष्य में आगे कहा कि 23 जुलाई 2017 को सुबह लगभग 8 बजे से 9 बजे तक दोनों आरोपी व्यक्ति उसके घर आए। दिगंबर ने उनसे कहा कि आप जानते हैं कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ। जब उसने पूजा के बारे में पूछा, तो P.W.5-Shankar ने उसे बताया कि वह घर में है। P.W.5-Shankar ने आगे कहा कि दिगंबर ने उसे बताया कि वह जानता था कि पूजा और गोविंद का पिछले 5 वर्षों से प्रेम संबंध था और इसलिए, उनकी शादी की जाएगी। P.W.5-Shankar ने दिगंबर को बताया कि इस तरह की शादी संभव नहीं है क्योंकि पूजा पहले से ही शादीशुदा है। इस पर दिगंबर ने उसे बताया कि गोविंद बचपन से ही उसका दोस्त था और इस तरह वह उसकी शादी उसकी बहन पूजा से करवा देगा। पूजा ने गोविंद से कहा कि दिगंबर उसका भाई है और उसे उस पर विश्वास था कि वह गोविंद के साथ उसकी शादी करेगा। P.W.5-Shankar ने कहा कि पूजा ने कहा कि वह गोविंद को नहीं छोड़ेगी। उस समय आरोपी No.2-Mohan ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इसके बाद, आरोपी और मृतक दोनों मोटरसाइकिल पर चले गए थे। आरोपी मोहन मोटरसाइकिल चला रहा था, पूजा और गोविंद बीच में बैठे थे और दिगंबर उनके पीछे बैठा था। उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद, वह और उनके बहनोई संतोष (पी. डब्ल्यू. 6) ऑटोरिक्षा से मुधोल की ओर बढ़े। उसने अपने सेल फोन पर गोविंद को फोन किया और उससे पूछा कि वह कहाँ है। गोविंद ने उसे बताया कि वह

बेलतारोदा गाँव से आगे है। उन्होंने गोविंद से दिगंबर को सेल फोन देने के लिए कहा। लेकिन, दिगंबर ने उससे बात किए बिना सेल फोन बंद कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि, उस समय, उनके बहनोई संतोष को उनके मोबाइल पर भोकर पुलिस स्टेशन से फोन आया, जिसने उन्हें सूचित किया कि उनके भाई गोविंद और पूजा को गाँव दिवशी से गाँव निगवा के बीच में मार दिया गया था।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

102

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 4 एस सी आर।

13. हालाँकि P.W.5–Shankar से पूरी तरह से जिरह की गई थी, लेकिन जहाँ तक अभियुक्त और मृतक के कथित गवाह के घर से एक साथ जाने का सवाल है, उनका बयान टूटा नहीं है।

14. इसी तरह का सबूत P.W.6–Santosh का है, जो मृतक का भाई है।

बी.

15. P.W.7–Sudam किशनराव ठाकरे एक पुलिस हेड कांस्टेबल थे, जो संबंधित समय में भोकर पुलिस स्टेशन से जुड़े थे। उन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि 23 जुलाई 2017 को, 1415 बजे, उन्हें एल. पी. सी. मुंढे से फोन आया, जिसमें बताया गया कि दिवसी और निगवा के बीच में एक लड़की और लड़के की हत्या कर दी गई थी। वह वहाँ गया और देखा कि एक लड़की घायल है और जब उसने उससे लड़के के बारे में पूछा, तो उसने नदी की ओर उंगली उठाई। उन्होंने नदी के पास खोज की और उन्हें एक शव खून से लथपथ मिला। उसने कहा कि वह घायल लड़की को अस्पताल ले जाने का इरादा रखता है। हालांकि, उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

सी.

16. प्रल्हाद चव्हाण पुलिस उप-निरीक्षक थे, जिन्होंने आरोपी दिगंबर का इकबालिया बयान दर्ज किया और जांच की।

डी.

17. यद्यपि अभियुक्त-दिगंबर के अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है, तथापि, पुलिस स्टेशन जाने और पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने के उनके आचरण को निश्चित रूप से भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 8 (जिसे इसके बाद "भारतीय साक्ष्य अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) को ध्यान में रखते हुए ध्यान में रखा जा सकता है।

ई.

18. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने यह स्थापित किया है कि मृतक और आरोपी व्यक्ति एक साथ P.W.5–Shankar के घर से निकले थे और इसके तुरंत बाद मृतक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार, भारतीय साक्ष्य

अधिनियम की धारा 106 को ध्यान में रखते हुए यह दिखाने का भार कि घर से बाहर निकलने के बाद क्या हुआ, अभियुक्त पर स्थानांतरित हो जाएगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आरोपी के मृतक के साथ चले जाने के बाद क्या हुआ, यह केवल आरोपी की जानकारी में है। हालाँकि, अभियुक्त व्यक्ति उक्त बोझ का निर्वहन करने में पूरी तरह विफल रहे हैं।

एफ.

जी.

19. मामले के उस दृष्टिकोण में, हम पाते हैं कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय के समवर्ती निष्कर्षों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा कि आरोपी अपीलार्थी आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के दोषी हैं।

एच.

103

दिगंबर बनाम महाराष्ट्र राज्य [बी. आर. गवई, जे.] ए.

ए.

20. हालाँकि, एकमात्र सवाल जो उठता है, वह यह है कि क्या वर्तमान मामले को 'दुर्लभतम से दुर्लभतम' माना जा सकता है ताकि मृत्युदंड दिया जा सके।

21. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कृष्णा मास्टर के मामले में

और अन्य 1, अभियुक्त ने परिवार के सम्मान को बचाने के आधार पर छह लोगों की हत्या कर दी थी और लगभग पूरे परिवार का सफाया कर दिया था। उक्त मामले में, हालांकि इस न्यायालय ने पाया कि यह 'दुर्लभतम से दुर्लभतम' मामले के अंतर्गत आएगा, लेकिन उसने मृत्युदंड को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 1,000/- के जुर्माने में परिवर्तित कर दिया।

बी.

22. गांधी डोड्डाबासप्पा उर्फ गांधी के मामले में यह अदालत

बासवराज बनाम कर्नाटक राज्य 2, जिसमें अभियुक्त ने अपनी बेटी की हत्या की थी, जो गर्भावस्था के उन्नत चरण में थी, हालांकि आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अभियुक्त की दोषसिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन सजा को मृत्युदंड से आजीवन कारावास में बदल दिया।

सी.

23. इस न्यायालय के कुछ अन्य उदाहरण हैं कि कौन से मामले 'दुर्लभ से दुर्लभतम' मामले की श्रेणी में आते हैं।

डी.

24. प्रकाश धवल खैरनार (पाटिल) बनाम राज्य के मामले में

महाराष्ट्र 3, अपीलार्थी एक वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक था। उसने अपने भाई के पूरे परिवार का सफाया कर दिया। इस अदालत ने पाया कि यह उनके द्वारा हताशा के कारण किया गया था क्योंकि उनका भाई कथित संयुक्त संपत्ति का विभाजन नहीं कर रहा था। हालांकि इस अदालत ने माना कि अपराध जघन्य और क्रूर था, लेकिन इसे 'दुर्लभ से दुर्लभतम' मामला नहीं माना जा सकता है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह अभिनिर्धारित करना कठिन है कि अपीलार्थी समाज के लिए एक खतरा है और यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि उसका सुधार या पुनर्वास नहीं किया जा सकता है।

ई.

एफ.

25. मोहिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य 4 के मामले में, यह न्यायालय

इस प्रकार देखा गया: "25. यह एक सुव्यवस्थित कानून है कि उम्रकैद की सजा देना एक नियम है और मौत एक अपवाद है। "दुर्लभतम" मामलों के सिद्धांत का अनुप्रयोग हर मामले पर निर्भर करता है और अलग-अलग होता है। हालांकि, विभिन्न निर्णयों में निर्धारित और दोहराए गए सिद्धांत

जी.

1 (2010) 12 एस. सी. सी. 324 2 (2017) 5 एस. सी. सी. 415 3 (2002) 2 एस. सी. सी. 35 4 (2013) 3 एस. सी. सी. 295

एच.

104

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 4 एस सी आर।

इस न्यायालय के निर्णय से पता चलता है कि जानबूझकर नियोजित अपराध में, जिसे शैतानी तरीके से सावधानीपूर्वक निष्पादित किया जाता है, भयानक तरीके से अमानवीय आचरण का प्रदर्शन करते हुए, सभी की अंतरात्मा को छूते हुए और इस तरह समाज के नैतिक ताने-बाने को परेशान करते हुए, यह सुनिश्चित करने के लिए मृत्युदंड लगाने का आह्वान किया जाएगा कि यह एक निवारक के रूप में कार्य करता है। यद्यपि हम आश्चस्त हैं कि प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष का मामला अपीलार्थी द्वारा अपराध किए जाने की पुष्टि करता है, तथापि, हमारी सुविचारित राय है कि फिर भी मामला "दुर्लभतम से दुर्लभतम" मामलों के चार कोनों के भीतर नहीं आता है।

बी.

26. उक्त मामले में आरोपी ने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी थी। हालांकि, इस अदालत ने पाया कि उक्त को 'दुर्लभ से दुर्लभतम' मामला नहीं माना जा सकता है।

सी.

27. हाल ही में, इस अदालत ने पुलिस निरीक्षक 5 द्वारा सुंदर @ सुंदरराजन बनाम राज्य के मामले में कहा कि 'दुर्लभतम से दुर्लभतम' सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे मामले में केवल मौत की सजा दी जाए। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इस बात पर विचार करते हुए कि मृत्युदंड दिया जाना है या नहीं, न्यायालय को न केवल अपराध की गंभीर प्रकृति पर विचार करना होगा, बल्कि यह भी विचार करना होगा कि क्या किसी अपराधी के सुधार की संभावना थी।

डी.

28. वर्तमान मामले में, दोनों अपीलार्थियों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अपीलार्थी-दिगंबर, जिसे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है, घटना के समय लगभग 25 वर्ष का एक युवा लड़का था। चिकित्सा साक्ष्य से आगे पता चलेगा कि अपीलकर्ताओं ने क्रूर तरीके से कार्य नहीं किया है, क्योंकि दोनों मृतक को केवल एक ही चोट लगी है। इस प्रकार, हम पाते हैं कि वर्तमान मामले को 'दुर्लभ से दुर्लभतम' मामला नहीं माना जा सकता है। किसी भी मामले में, नांदेड़ के परिवीक्षा अधिकारी के साथ-साथ नासिक रोड केंद्रीय कारागार के अधीक्षक की रिपोर्ट से पता चलेगा कि अपीलार्थी-दिगंबर को अच्छा व्यवहार करने वाला, सहायक और नेतृत्व गुणों वाला व्यक्ति पाया गया है। वह आपराधिक मानसिकता और आपराधिक रिकॉर्ड वाला व्यक्ति नहीं है।

ई.

एफ.

29. नांदेड़ के परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट में आगे कहा गया है

जी.

इस प्रकार:

“सरपंच और गाँव के लोगों ने बताया कि मृत मित्र गोविंद और मृत बहन की अंतर-जातीय शादी

5 आपराधिक अपील संख्या 2011 की 21 मार्च 2023 ए में 2013 की पुनरीक्षण याचिका (आपराधिक) संख्या 159-160

एच.

105

दिगंबर बनाम महाराष्ट्र राज्य [बी. आर. गवई, जे.]

पूजा सामाजिक दबाव डाल रही थी और इसके बारे में गुस्से में होने के कारण, विषय घटना दिगंबर द्वारा अचानक उकसावे में हुई थी। कुल मिलाकर, गृह जांच के दौरान मौजूद सभी लोगों ने दिगंबर बाबूराव दासरे के व्यवहार के बारे में अच्छी राय दी।”

30. इसलिए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय के साथ-साथ विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि वर्तमान मामला अपीलार्थी-दिगंबर को मृत्युदंड देने के लिए 'दुर्लभतम से दुर्लभतम' मामले के अंतर्गत आएगा। इसलिए हम अपीलार्थी-दिगंबर की अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं। तथापि, जहाँ तक अपीलार्थी-मोहन, जिसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, का संबंध है, हम पाते हैं कि हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।

बी.

सी.

31. परिणाम में, हम निम्नलिखित क्रम पारित करते हैं:

(i) अपीलार्थी-मोहन द्वारा दायर आपराधिक अपील खारिज कर दी जाती है। ((ii) अपीलार्थी-दिगंबर द्वारा दायर आपराधिक अपीलों की आंशिक रूप से अनुमति है। यद्यपि अपीलार्थी-दिगंबर को आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत दोषी ठहराया गया है, मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया है।

डी.

32. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

ई.

दिव्या पांडे

अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी गई।

(सहायक: शेवाली मोंगा, एलसीआरए)

एफ.

जी.

एच.